



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)
आई.एस.ओ. 9001:2015 द्वारा प्रमाणित
Certified with ISO 9001:2015



क्षेत्रीय कार्यालय (दिल्ली) / Regional Office (Delhi)
तृतीय एवं चतुर्थ तल, राजेंद्र भवन, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110008
3rd and 4th Floor, Rajendra Bhawan
Rajendra Place, New Delhi - 110008
Phone: 011-25734381, 25745044 Email : rd-delhi@esic.nic.in
Website : www.esic.nic.in / www.esic.in

111-A-33/13/10/2015/DPC-II(VOL-II)/ 16393

दिनांक :- 30-07-2025

कार्यालय आदेश संख्या 7 वर्ष 2025 (डीपीसी - 2)

संशोधित आश्वस्त कैरियर प्रगति योजना (सं.आ.क.प्र. योजना : Modified Assured Career Progression Scheme : MACP Scheme) से संबंधित DoP&T O.M No.35034/3/2015-Esst.(D) dated 22/10/2019 में निर्धारित अनुदेशों के अनुसार एवं दिनांक 24-07-2025 को आयोजित विभागीय अनुवीक्षण समिति (Departmental Screening Committee) की अनुशंसा के आधार पर, क्षेत्रीय निदेशक ने एतद्वारा निम्नलिखित कर्मचारी को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार वित्तीय उन्नयन प्रदान करने का अनुमोदन किया है :

In pursuance of provisions of DOP&T's OM No. 35034/3/2015-Esst. (D) dated 22/10/2019 relating to Modified Assured Career Progression Scheme (MACP Scheme) and as per the recommendations of meeting of the Departmental Screening Committee held on 24-07-2025, Regional Director, Delhi has approved the grant of financial upgradation(s) to the following employees as per the details mentioned below :-

क्रम संख्या	नाम, कर्मचारी संख्या, पदनाम एवं सातवें वेतन आयोग का वर्तमान वेतनमान लेवल व नियुक्ति तिथि (Name, Emp ID, Designation, Date of appointment)	वर्तमान तैनाती स्थल (Present place of posting)	रिवीयू आ.वि.अनु.समिति द्वारा सं.आ.वृ.प्रो. योजना के तहत वित्तीय अन्नयन प्रदान करने की तिथि (Date from which financial up-gradation under MACP Scheme is granted by REVIEW DSC)		सं.आ.वृ.प्रो. योजना के तहत वित्तीय अन्नयन प्रदान करने की तिथि (Date from which financial up-gradation under MACP Scheme is granted)	वित्तीय उन्नयन पर सातवें वेतन आयोग का अनुशंसित वेतन लेवल (Pay level of the 7th CPC in which Financial upgradation is granted)
			1 st	2 nd		
			ACP/MACP (12/10 yrs)	MACP (20 yrs)	MACP (30 yrs)	
1	Tulsi Dass (Retired Cook) EID-117856 DOA : 01.01.1990	Retired from ESIH Okhla	ACP 12.10.2002 (Reviewed)	12.10.2010 (Reviewed)	12.10.20	Level-4 w.e.f 12.10.2020

2	Bhim Singh (Retired Cook), EID -145397 DOA :22.08.1990	Retired from ESIH Okhla	ACP 02.09. 2002 (Reviewed)	02.09.2010 (Reviewed)	02.09.20	Level-4 w.e.f 02.09.2020
3	Nirdosh Kumar, Cook, EID -144683, DOA :16.10.2008	ESI Hospital Gurugram	1 st MACP (10 yrs) 16.10.2018	-	-	Level-2 w.e.f. 16.10.2018

11 days' Dies-non period is added in due date of ACP and 2nd MACP in r/o employees at sr. no. 1 and 2.

क्रमांक संख्या 1 एवं 2 पर उल्लेखित कर्मचारियों की ए.सी.पी एवं दूसरी एम.ए.सी.पी में देय तिथि में, 11 दिनों की dies-non अवधि जोड़ी गई है।

It may be noted

1. सं.आ.क.प्र. योजना के तहत वित्तीय उन्नयन प्रदान करने पर पदनाम, वर्गीकरण या उच्चतर स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तथापि कर्मचारी के आहरित वेतन से संबंधित वित्तीय एवं अन्य निश्चित लाभ ग्रहण होंगे। सं.आ.क.प्र. योजना के तहत उपर्युक्त वित्तीय उन्नयन, स्थापना शाखा 3, क.रा.बी. निगम मुख्यालय द्वारा संबंधित विषय पर परिचालित DoP&T OM no.35034/3/2015-Esst.(D) dated 22/10/2019 में निहित अनुदेशों व समय-समय पर जारी अन्य अनुदेशों/स्पष्टीकरण आदि के अनुसार निर्धारित होगा। यदि कर्मचारी इस वित्तीय उन्नयन के पहले ही पूर्णतः तदर्थ आधार पर उच्च पदासीन है (यदि हैं), तो DoP&T OM dated 22/10/2019 के पैरा संख्या 25 के अनुसार नियमन होगा।

On grant of financial up-gradation under the MACPS, there shall be no change in the designation, classification or higher status. However, financial and certain other benefits, which are linked to the pay drawn by an employee shall be permitted. Above financial up-gradation under the MACP Scheme shall, be subject to the terms and conditions mentioned in DoP&T OM No.35034/3/2015-Esst.(D) dated 22/10/2019 and further instructions/clarifications issued from time to time and circulated by Establishment Branch-III, Hqrs. on the subject. In case the employees are already holding the higher post purely on ad-hoc basis before the date of recommendation of financial up-gradation (if any), the case may be regulated as per para 25 of Annexure-I of DoP&T OM dated 22/10/2019.

2. सं.आ.क.प्र योजना के तहत वित्तीय उन्नयन अंतिम होगा और नियमित पदोन्नति के समय कोई वेतन नियतन नहीं होगा। उपर्युक्त कर्मचारी का वित्तीय उन्नयन पर वेतन DoP&T OM No.35034/3/2015-Esst.(D) dated 22/10/2019 के पैरा संख्या 4 से 7 के अनुसार नियत होगा तथा सामान्य वेतन नियमावली और प्रतिमानकों में वर्णित एफआर 22(1) (ए)(1) के अंतर्गत कर्मचारी वित्तीय उन्नयन आदेश की

तिथि या अगली वेतन वृद्धि की तिथि से वेतन नियतन के संबंध में अपना विकल्प वित्तीय उन्नयन आदेश की तिथि के एक माह के अंदर तक प्रस्तुत करेंगे।

The financial benefit allowed under the MACP Scheme shall be final and no pay fixation benefits shall accrue at the time of regular promotion. On upgradation under the MACP Scheme, pay of the official shall be fixed as per para 4 to 7 of Annexure-I DoP&T OM dated 22/10/2019 and the official has the option under FR 22(I)(a)(1) to get the pay fixed in the higher level of pay in the pay matrix either from the date of the financial up-gradation or from the date of his next increment within one month of the date of issue of the order.

3. उपर्युक्त आदेश में यदि किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाए तो उसे वेतन नियतन से पहले डीपीसी-2 शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली को सूचित कर दिया जाए।

If any discrepancy is found in the above order, the same shall be brought to the notice of DPC- 2 Branch, Regional Office Delhi before fixation of pay.

4. नियंत्रक प्राधिकारी यह सुनिश्चित करें, कि संबंधित कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में उपर्युक्त कार्यालय आदेश की संबंधित पृष्ठियाँ की जाएँ और वेतन नियतन के संबंध में आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाए।

The Controlling Authority shall ensure that relevant entries of the above-mentioned office order are made in the service book of the concerned official and necessary action is initiated regarding fixation of pay.

RAAKHI Saini

ASSISTANT DIRECTOR

30-07-2025

(राखी सैनी)

सहायक निदेशक (डीपीसी-2)

प्रतिलिपि (सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) :

1. संबंधित कर्मचारियों को उनके वर्तमान नियंत्रक अधिकारी के माध्यम से।
2. निदेशक, क.रा.बी.नि. निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली, चिकित्सा अधीक्षक क.रा.बी.नि अस्पताल ओखला एवं गुरुग्राम।
3. संबंधित कर्मचारियों के निदेशक(वित्त)/उप निदेशक(वित्त)/रोकड़ शाखा/लेखा शाखा, क.रा.बी.नि. निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली, चिकित्सा अधीक्षक क.रा.बी.नि अस्पताल ओखला एवं गुरुग्राम।
4. प्रशासन शाखा -2, क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली।

5. वैबसाइट कंटेंट मैनेजर (आईटी सैल) क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली / निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली दिल्ली को वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
6. गार्ड फ़ाइल ।